

FP/UP/othor/48988/2020

भाग - 5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

श. सु. 12/12 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

तिथि 9/3/21

स्थान .....

हस्ताक्षर

Anupam Gupta

नाम और पद नाम

Chief Conservator of Forests and Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर